भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 166
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में हवाई किराए का निर्धारण

166. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान हवाई यात्रा के किराए के निर्धारण के रुझान से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर हवाई किराए में औसत कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रमुख लागत घटकों में हुए परिवर्तनों से संबंधित आंकड़े, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों, विमानपत्तन और नौवहन शुल्कों, करों और अन्य सांविधिक शुल्क, लाभ मार्जिन सहित, क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक ने हवाई किराए में परिवर्तन में कितना योगदान दिया है; और

(घ) सरकार ने विशेष रूप से व्यस्ततम यात्रा अवधियों और संकटपूर्ण/आपातकालीन स्थितियों के दौरान, हवाई किराए को वहनीय बनाए रखना सुनिश्चित करने और विमान कंपनियों द्वारा अत्यधिक मूल्य निर्धारित किए जाने की प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): हवाई किराया, सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं हैं और एयरलाइनों को विमान नियम, 1937 के नियम 135 का पालन करते हुए अपनी परिचालन जरूरतों के आधार पर अपने हवाई किराए का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एक नियंत्रणमुक्त विमानन बाजार में, जहां सरकार हवाई किराए को नियंत्रित नहीं करती है, देश के विभिन्न हवाईअड्डों और शहरों को जाने वाली उड़ानों के संबंध में वर्ष-वार डेटा नहीं रखा जाता है।

बाजार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार आमतौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, हालांकि, यह सतर्क निगरानीकर्ता की भूमिका निभाती है और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण करके और अस्थायी किराया सीमा लगाकर जैसे महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों, पहलगाम की घटना और हाल ही में इंडिगो की उड़ान में बड़े पैमाने पर व्यवधान जैसी असाधारण परिस्थितियों, में हस्तक्षेप करती है।

विमानन परिचालन लागतें गतिशील प्रकृति की होती हैं और इसके अलग-अलग घटक कई कारकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत, विदेशी विनिमय दरें, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट), पट्टा किराया आदि के कारण

अलग-अलग होते हैं। केवल एटीएफ ही, एयरलाइनों के कुल परिचालन व्यय का 35% से 40% होता है।

सरकार हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ सक्रिय कदम उठा रही है, जैसे ब्याज दरों और पट्टा किराया कम करने के लिए विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 का अधिनियमन, एमआरओ उपकरणों और संविदाओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एटीएफ पर अधिक वैट को कम करने का अनुरोध करना।

इसके अलावा, सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के माध्यम से मौजूदा हवाईपट्टियों और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को संपर्क प्रदान करती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसरों और पूरे देश में क्षेत्रीय विकास में वृद्धि होती है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके मासिक आधार पर यादृच्छिक आधार पर चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें। यह घरेलू यातायात का लगभग 27% कवर करता है। ऐसा करके, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
